

प्रपत्र- 2.37

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय /भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, कपकोट
बागेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट

प्रपत्र— 2.36

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशा संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वनभूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

1. ईको- क्लास श्रेणी 5 VI
2. हरियाली का घनत्व 0.2
3. हरियाली की दर प्रति है० 6.57 है० लाख
4. आवेदित वनभूमि का क्षेत्रफल 4.340 है
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 28.51 लाख


प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट वन विभाग
बागेश्वर जन प्रभाग
(उत्तराखण्ड)